

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ २१०

प्रति,

रीवा दिनांक : ५-५-२०२२

अध्यक्ष/प्राचार्य  
श्री पारसनाथ महाविद्यालय  
कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(24) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा/विषय  |
|------|---|
| 1    | बी.काम् प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120सीट।   |
| 2    | बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120सीट। |

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।
- कम्प्यूटर लैब में छात्रों के अनुपात में कम्प्यूटर रखें।
- वर्तमान भवन के स्थान पर अन्यत्र भवन स्थानांतरित किये जाने पर पुनः निरीक्षण कराया जाय।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव  
25/03/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. ऑनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)  
[Signature]

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२१।।  
प्रति,

रीवा दिनांक : ५-५-२०२२

अध्यक्ष/प्राचार्य  
जनता महाविद्यालय  
जनेह, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 2(01) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा/विषय   |
|------|--|
| 1    | बी.ए. भाग 1,2,3 – आधार पाठ्यक्रम, इतिहास, समाजशास्त्र, हिन्दी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र-प्रत्येक गुप्त-120सीट। |
| 2    | बी.एस.सी. भाग 1,2,3 – आधार पाठ्यक्रम, रसायन, वनस्पतिविज्ञान, प्राणिविज्ञान, भौतिकी एवं गणित-प्रत्येक गुप्त-120सीट।       |
| 3    | एम.ए. पूर्वार्द्ध – हिन्दी-100सीट।   |

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत और शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय को विषयवार पुस्तकों को क्रय करके उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार *hbs*  
कुलसचिव ०५/०५/२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव ०५/०५/२२  
(विकास)

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२१२

प्रति,

रीवा दिनांक : ५-५-२०२२

अध्यक्ष/प्राचार्य  
सिद्ध विनायक कालेज  
जगमल, बींहारी, जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(03) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा/विषय  |
|------|---|
| 1    | बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष-100सीट।   |
| 2    | बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, इतिहास, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस-120सीट।                          |
| 3    | बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कमेस्ट्री, चुलाजी, बाटनी, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर साइंस-120सीट। |
| 4    | बी.काम. प्रथम, द्वितीय वर्ष समस्त, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर साइंस-120सीट।                                      |

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन ०३ माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

५/५/२०२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

५/५/२०२२

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2022 / २१३

प्रति,

रीवा दिनांक : 4-5-2022

अध्यक्ष / प्राचार्य  
मौं पीताम्बरा कालेज  
नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 2(06) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा / विषय   |
|------|--|
| 1    | बी.एसरी. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर साइंस, प्रतिग्रुप-120सीट एवं अतिरिक्त विषय-180सीट। |
| 2    | बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, (अतिरिक्त विषय), कम्प्यूटर एप्लीकेशन-प्रतिग्रुप-120सीट एवं अतिरिक्त विषय-180सीट।         |
| 3    | बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।   |
| 4    | बी.सी.ए. प्रथम वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।  |

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- निमणिधीन अध्यापन कक्षों को तैयार करें।
- प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करें।
- पुस्तकालय में 1000 पुस्तकें क्रय करें।
- फर्नीचर व्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव ०५-०५-२०२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)  
24-05-2022

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२१५  
प्रति,

रीवा दिनांक : ४-५-२०२२

अध्यक्ष/प्राचार्य

महात्मा गांधी कालेज आफ कामर्स एण्ड साइन्स  
नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

| क्र. | कक्षा/विषय  |
|------|---|
| 1    | बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कम्प्यूटर, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य-280सीट। |
| 2    | बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, कम्प्यूटर, वाटनी, जुलाजी, बायोटेक-130-130सीट।              |
| 3    | बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-180सीट।  |
| 4    | बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120सीट।   |
| 5    | बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-120सीट।   |

नोट -

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत अन्य विषय के शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय को उन्नत करें।
- अध्यक्ष की उम्र तथा सदस्यों के हस्ताक्षर को अधिक पारदर्शी बनावें।
- भविष्य में सभी अभिलेखों में तिथि का अंकन अवश्य करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार  
कुलसचिव  
*[Signature]*

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव - परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
- सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)  
*[Signature] 10/05/2022*

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२१५  
प्रति,

रीवा दिनांक : ४-५-२०२२

अध्यक्ष/प्राचार्य

इम्पीरियल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एण्ड साइंस  
जयसिंह नगर, जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(05) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की घारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा/विषय   |
|------|--|
| 1    | बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।                                      |
| 2    | बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।                                      |
| 3    | बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय, (अतिरिक्त विषय), कम्प्यूटर एप्लीकेशन-60-60सीट। |

नोट –

- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ायें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव ०५/०५/२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)  
सहायक कुलसचिव (विकास)

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२१६

रीवा दिनांक : ४-५-२०२२

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

आदित्य गुप्त आफ इंस्टीट्यूट कालेज आफ एजुकेशन (AGICOE),  
सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(16) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा / विषय  |
|------|---|
| 1    | बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।   |
| 2    | बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।   |
| 3    | एम.एस.डब्ल्यू. प्रथम, द्वितीय वर्ष-60सीट।   |
| 4    | बी.काम. प्रथम, द्वितीय वर्ष प्लेन/कम्प्यूटर, इंश्योरेन्स, टेक्नोसन-60-60सीट।  |
| 5    | बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आनर्स-60-60सीट।  |
| 6    | बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बायोटेक्नालाजी, बाटनी, कमेस्ट्री, (अतिरिक्त विषय) प्राणिशास्त्र-60-60सीट।     |
| 7    | पी.जी.डी.सी.ए.-90सीट।   |
| 8    | बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120सीट। |

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पुस्तकालय में संबंधित पाठ्यक्रमों की पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।
3. बायोटेक्नालाजी, बाटनी एवं प्राणिशास्त्र की प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव, ५/५/२०२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. उप कुलसचिव – परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
3. सिरटम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२१७

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

डिजिटल कालेज आफ एजूकेशन  
कोटमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

रीवा दिनांक : ५-५-२०२२

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(25) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

| क्र. | कक्षा/विषय  |
|------|---|
| 1    | बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन/कम्प्यूटर एल्लीकेशन-100-100सीट।          |
| 2    | बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।                   |
| 3    | बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र-60सीट। |

नोट -

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।
- कम्प्यूटर लैब एवं कक्षाओं का उन्नयन करें।
- वर्तमान भवन के स्थान पर अन्यत्र भवन स्थानांतरित किये जाने पर पुनः निरीक्षण कराया जाय।

उपर्युक्त शांतों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छांतों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

041-5122

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव - परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
- सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)



# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२१८  
प्रति,

रीवा दिनांक : 4-5-2022

अध्यक्ष/प्राचार्य

अटल बिहारी डिग्री कालेज  
ग्राम पड़ौनिया, जिला सिंगरीली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 2(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

| क्र. | कक्षा/विषय  |
|------|---|
| 1    | बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र-120सीट।                                   |
| 2    | बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष वनस्पतिशास्त्र, बायोटेक, रसायनशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) भूगर्भशास्त्र-120सीट। |

नोट -

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

05/05/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव - परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)  
05/05/22

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2022 / २१९  
प्रति,

रीवा दिनांक : ५-५-२०

अध्यक्ष / प्राचार्य  
यूनिक कालेज आफ टेक्नोलॉजी  
रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(12) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा / विषय   |
|------|--|
| 1    | बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट। |
| 2    | बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-120-120सीट।                              |
| 3    | बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-120-120सीट।                              |
| 4    | एम.एस.डब्लू. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध-150सीट।                               |
| 5    | पी.जी.डी.सी.ए.-150सीट।   |

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय को उन्नत करें।
- क्रीड़ागांग की समुचित व्यवस्था करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- सिस्टम इचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)  
५-५-२०२२

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2022 / २२५

रीवा, दिनांक : ५-५-२०२२

प्रति,

अध्यक्ष

शासी निकाय

महारानी लक्ष्मीबाई कालेज आफ टेक्नोलॉजी, रीवा (म.प्र.)

विषय :- परिनियम 28 कालेज कोड के तहत सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / MLCT/APSU/788/2022 दिनांक 01-02-2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 15-03-2022 के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है -

1. डॉ. अर्चना पटेल - सहायक प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र
2. डॉ. किरण सिंह - सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र
3. नीलम मिश्रा - सहायक प्राध्यापक वाणिज्य

उपर्युक्त नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 15-03-2022 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

भवदीय,

  
कुलसचिव

श्री

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. प्राचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई कालेज आफ टेक्नोलॉजी, रीवा (म.प्र.)।
3. अधिकारी, नहाविद्यालयीन विकास परिषद्।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन।
5. सहायक कुलसचिव - विकास, गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त विभाग।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एलीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2022 / २२६

रीवा, दिनांक : ५-५-२०२२

प्रति,

अध्यक्ष

शासी निकाय

ज्योत्सना कालेज आफ एजूकेशन, हड्डबड़ो, सीधी (म.प्र.)

विषय :- परिनियम 28 कालेज कोड के तहत व्याख्याता की नियुक्ति का अनुमोदन।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / 25 / 2021 दिनांक 18-12-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मेरे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत व्याख्याता की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 07 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 15-03-2022 के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है -

1. धीरेन्द्र सिंह घौहान - व्याख्याता शिक्षा

उपर्युक्त नियुक्त व्याख्याता के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 15-03-2022 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

०५०५१२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
- प्राचार्य, ज्योत्सना कालेज आफ एजूकेशन, हड्डबड़ो, सीधी (म.प्र.)।
- अधिकारी, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
- उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव - विकास, गोपनीय, अकादमिक।
- वित्त विभाग।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2022 / २२७  
प्रति,

रीवा, दिनांक : ५-५-२०२२

अध्यक्ष

शासी निकाय

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय :-** परिनियम 28 कालेज कोड के तहत सहायक प्राध्यापकों/व्याख्याताओं की नियुक्ति का अनुमोदन।

**सन्दर्भ :-** आपका पत्र क्रमांक / नियुक्ति / 2022 / 186, 187, 189 दिनांक 06-01-2022 महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत सहायक प्राध्यापकों/व्याख्याताओं की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 06 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 15-03-2022 के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है -

1. श्रीमती स्वेच्छा श्रीवारत्नव - सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता शिक्षा
2. डॉ. अंजू सिंह बघेल - सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता शिक्षा
3. श्री कृष्ण सक्सेना - सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता शिक्षा
4. श्रीमती संजू सिंह - सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता शिक्षा
5. सतेन्द्र कुमार मिश्रा - सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता शिक्षा
6. ऐश्वर्या सक्सेना - सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता शिक्षा
7. पियूष कुमार - सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता शिक्षा
8. मनोरमा गोस्वामी - सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता शिक्षा
9. श्री ललन सिंह - सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता शिक्षा
10. विकास सिंह - क्रीड़ा अधिकारी

उपर्युक्त नियुक्ति प्राध्यापकों/व्याख्याताओं के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 15-03-2022 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

भवदीय,

*०५/०५/२२*  
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. प्राचार्य, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला रीवा (म.प्र.)।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन।
5. सहायक कुलसचिव - विकास, गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त विभाग।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२२८

रीवा, दिनांक : ५-५-२०२२

प्रति,

अध्यक्ष

शासी निकाय

सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षा महाविद्यालय  
रतहरी, रीवा (म.प्र.)

विषय :- परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य की नियुक्ति का अनुमोदन।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 153/अनुमोदन/2021 दिनांक 18-12-2021


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 04 की अनुशासा एवं माननीय कुलपति जी ह्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 20-01-2022 के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है -

1. डॉ. भगवान दीन - प्राचार्य


उपर्युक्त नियुक्त प्राचार्य के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी ह्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 20-01-2022 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

भवदीय,

  
कुलसचिव ०५/०५/२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
- प्राचार्य, सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षा महाविद्यालय, रतहरी, रीवा (म.प्र.)।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव - विकास, गोपनीय, अकादमिक।
- वित्त विभाग।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२३३  
प्रति,

रीवा दिनांक : ५-५-२०२२

अध्यक्ष/प्राचार्य  
डिजिटल कालेज आफ एजूकेशन  
कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

**विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2022–2023 बाबत।**

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05-04-2022 के आइटम क्रमांक 3(07) की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13-04-2022 के निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2022-23 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

| क्र. | कक्षा/विषय  |
|------|---|
| 1    | एलएल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम वर्ष-60सीट। |

**नोट –**


- बी.सी.आई. की अनुमति के उपरान्त ही छात्रों को प्रवेश दें।
- बी.सी.आई. द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विधि विषय के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति कालेज कोड 28 में करें।
- पुस्तकालय में विधि की पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें। साथ ही लॉ के जर्नल्स क्रय करें।
- मूटकोर्ट एवं लीगल एड क्लीनिक की संरचना व व्यवस्था बी.सी.आई. के मापदण्ड के अनुरूप करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2023-2024 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार /  
कुलसचिव ०५/०५/२२

**प्रतिलिपि सूचनार्थ –**

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा सभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२३५  
प्रति,

रीवा दिनांक : ६-५-२०२२

अध्यक्ष/प्राचार्य  
एस.आई.टी. कालेज आफ एजूकेशन  
जगोड़ी, सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020-2021 एवं 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 05 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 एवं 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

| क्र. | कक्षा/विषय                                   |
|------|--|
| 1    | बी.एड. पाठ्यक्रम समर्त अनिवार्य विषय-100सीट। |

नोट -

- एन.सी.टी.ई. नाम्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव - परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२३५

रीवा दिनांक : ६-५-२०२२

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
सोहागी कालेज आफ एजूकेशन  
खटिया, सोहागी, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।


विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31-12-2021 के आइटम क्रमांक 3(18) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा/विषय   |
|------|--|
| 1    | बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।   |
| 2    | बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर (अतिरिक्त विषय), इतिहास, भूगोल-60-60सीट।           |
| 3    | बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर-60-60सीट।  |
| 4    | बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।  |
| 5    | बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, (अतिरिक्त विषय) बाटनी, जुलाजी, बायोटेक्नालॉजी, कम्प्यूटर-60-60सीट। |
| 6    | बी.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60सीट।  |

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत सभी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार  
  
कुलसचिव 25/03/2022  


प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेपित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)  
20/03/2022

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ २५।

रीवा दिनांक : 6-5-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
टी.डी. शिक्षा महाविद्यालय  
लक्ष्मणपुर, लौआ, रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 एवं 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 15–02–2022 के आइटम क्रमांक 2(09) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 एवं 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा/विषय              |
|------|-------------------------|
| 1    | एम.एड. पाठ्यक्रम—50सीट। |

नोट –

1. NCTE नार्म्स/ कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार  
कुलसचिव ०५/०५/२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

1. उप कुलसचिव – परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)  
०५/०५/२२

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/२७८

रीवा दिनांक : २३-५-२०२२

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

स्वामी नारायण दास शिक्षा महाविद्यालय  
मैहर, जिला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05-04-2022 के आइटम क्रमांक 4(01) की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13-04-2022 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा/विषय                                       |
|------|--|
| 1    | बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम—एक यूनिट-50सीट।       |
| 2    | बी.ए.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम—एक यूनिट-50सीट। |

नोट –

- एन.सी.टी.ई. नार्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2022 / २७५

रीवा दिनांक : २३-५-२०२२

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

राजीव गांधी महाविद्यालय

बैडन, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15-02-2022 के आइटम क्रमांक 2(03) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

| क्र. | कक्षा / विषय  |
|------|---|
| 1    | बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष अनिवार्य विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं टेक्नोसन (अतिरिक्त विषय) – 120-120-120सीट।                   |
| 2    | बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, रसायनशास्त्र, बाटनी, जीवविज्ञान, बायोटेक्नालाजी (अतिरिक्त विषय) – 120-120-120सीट। |
| 3    | बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन – 120सीट।                                  |
| 4    | एम.काम. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – 40सीट।  |

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार *.....*  
कुलसचिव १५/०५/२२  
*.....*

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)  
*.....*